SHRI ARUN JAITLEY : Sir, with regard to development of trade, as far as North-East is concerned, I have already mentioned that from the ASIDE Scheme of the Central Government, we are assisting the States in setting up all these trade points which are concerned. I have detailed figures of how much has been given for each of the trade point in consideration. Besides this, there are other activities such as linkages, setting up of agro-export zones etc. So far, 3 agro-export zones, to encourage activity, have been set up, as far as North-East is concerned. In addition to this, 6 export promotional industrial parks, one each in Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram and Nagaland have also been sanctioned for the North East area. Besides this, there are other series of steps which are proposed, and if the hon. Member has any further suggestions to add to this—the Government of India is very keen to increase the economic activity, as far as North-East is concerned—we can certainly take even those into consideration.

कोलटा और बाजगी को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दिया जाना

***423. श्री ईसाम सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1956 में उत्तरांचल के जौनसार क्षेत्र की कोलटा और बाजगी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी;

(ख) क्या 1967 में उत्तरांचल राज्य के जौनसार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था;

(ग) क्या जौनसार क्षेत्र की कोलटा और बाजगी जातियों को अब अनुसूचित जाति माना जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इन जातियों को उनका अधिकार दिलाने का विचार रखती है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बाजगी समुदाय को उत्तर प्रदेश में दिनांक 10-08-1950 को अधिसूचित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था। तथापि, कोलटा समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। अनुसूचित जातियों की सूची को दिनांक 29 अक्तूबर, 1956 को अधिसूचित

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के तहत संशोधित किया गया था और बाजगी समुदाय को उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में बनाए रखा गया। तथापि, कोलटा समुदाय को उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त आदेश के अनुसार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था।

(ख) जी, नहीं। तथापि, तत्कालीन उत्तर प्रदेश तथा अब उत्तरांचल के जौनसारी समुदाय को दिनांक 24 जून, 1967 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह कि चूंकि जौनसार एक प्रादेशिक शब्द है जिसमें क्षेत्र के सभी निवासी शामिल होते हैं, इसलिए, देहरादून जिले के जौनसार बवार क्षेत्र में रहने वाले कोलटा तथा बाजगी समुदाय के व्यक्ति जौनसारी के नाम से अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं, बशर्ते कि दावेदार अथवा उनके माता-पिता राष्ट्रपति आदेश अर्थात् 24 जून, 1967 की अधिसूचना के समय जौनसार क्षेत्र के स्थायी निवासी रहे हों।

(ग) तथा (घ) पूरे उत्तरांचल राज्य में केवल बाजगी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और इस प्रकार इसके सदस्य अनुसूचित जातियों के लिए अभिप्रेत सभी लाभों के पात्र हैं। कोलटा समुदाय को उत्तरांचल के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा कोलटा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने पर विचार किए जाने के लिए, राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित है। उत्तरांचल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Recognition of Kolta and Bajgias Scheduled Castes

†*423 SHRI ISAM SINGH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government had recognised the Kolta and Bajgi castes of Jaunsar area of Uttaranchal State as Scheduled Castes in 1956;

(b) whether Jaunsar area of Uttaranchal State had been declared as Scheduled Tribe area in 1967;

(c) whether Kolta and Bajgi castes of Jaunsar area are now treated as Scheduled Castes and if not, the reasons therefor; and

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) whether Government propose to give these castes their due rights?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. SATYA NARAYAN JATIYA) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Bajgi community had been specified as Scheduled Caste in the State of Uttar Pradesh as per the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, notified on 10-08-1950. However, Kolta community had not been specified as Scheduled Caste. The list of Scheduled Castes was modified *vide* the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 notified on 29th October, 1956 and Bajgi community was retained as Scheduled Castes in the State of Uttar Pradesh. Nevertheless, Kolta community was not specified as Scheduled Caste in the State of Uttar Pradesh as per the aforesaid Order.

(b) No Sir. However, the Jaunsari community of the then Uttar Pradesh and now Uttaranchal was notified as Scheduled Tribe *vide* the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, promulgated on 24th June, 1967 and that since Jaunsari is a territorial term encompassing all the residents of the area, therefore, the persons belonging to Kolta and Bajgi communities residing in Jaunsar-Bawar region in Dehradun District, are entitled to get the benefits of Scheduled Tribe in the name of Jaunsar, provided the claimants or their parents were permanent resident of Jaunsar Area at the time notification of the Presidential Order *i.e.* 24th June, 1967

(c) and (d) Bajgi community has been specified as Scheduled Caste throughout the State of Uttaranchal and as such its members are entitled to all the benefits meant for Scheduled Castes. Kolta Community has not been notified as Scheduled Castes in relation to Uttaranchal. For the Government of India to consider inclusion of "Kolta" in the list of Scheduled Castes, the recommendation of the State Government is required.

No such proposal has been received from Government of Uttaranchal.

श्री ईश्वर सिंह : सभापति महोदय, प्रश्न के क्रम संख्या "ग" और "घ" में माननीय मंत्री जी ने कोल्टा समुदाय के संबंध में बताया है कि इसे उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरांचल सरकार से यदि इस बारे में

प्रस्ताव मिल जाता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि उत्तरांचल सरकार से प्रस्ताव पारित होकर केन्द्र सरकार को मिल जाता है तो क्या कोल्टा समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा ?

डा. सत्य नारायण जटिया : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोल्टा जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाएगा ? स्थिति यह है कि राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसके लिए जो प्रक्रिया निश्चित की गई है, उसके अनुसार उस पर कार्यवाही करने के लिए हमें अवसर चाहिए। उसमें यह व्यवस्था है कि जो रजिस्ट्रार हैं या जो सेंसस के पंजीयक हैं, उनके पास यह प्रस्ताव विचारार्थ जाता है। उसके बाद यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन के पास जाता है, उसके बाद फिर वह मंत्रालय के पास आता है। फिर सारे मंत्रालय के अन्तर्गत उसको सर्क्यूलेट करने का काम होता है, फिर उसके बाद मंत्रि-परिषद के पास जाता है। तो यह एक प्रक्रिया निश्चित की गई है। उस प्रक्रिया में पहले यह जरूरी है कि वह प्रस्ताव हमें प्राप्त हो तब उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाए।

श्री सभापति : क्या यह आवश्यक है कि राज्य सरकार से जब तक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हो तो ऑल इंडिया कमीशन के पास यह मामला नहीं जा सकता ?

डा० सत्य नारायण जटिया : प्रक्रिया यह तय की गई है ...

श्री सभापति : मैं प्रक्रिया नहीं पूछ रहा हूँ। क्या वह नहीं जा सकता ?

डा० सत्य नारायण जटिया : हां, नहीं जा सकता जब तक उनसे प्रस्ताव प्राप्त न हो। राज्य सरकार इसको प्रेषित करे तो उस पर कार्रवाई होगी।

श्री सभापति : इस कमीशन के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता ?

डा० सत्य नारायण जटिया : डायरेक्टली आएगा तब भी हम उसको राज्य सरकार के पास भेजेंगे।

श्री सभापति : आ तो सकता है ?

डा० सत्य नारायण जटिया : आ सकता है ?

श्री सभापति : अब आपको और कुछ पूछना है ?

श्री ईसाम सिंह : ठीक है, थैंक्यू।

3203 RSS/03—2